न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या 19/2013 तारीख दायरा 08.03.2013

उनवान

1. श्यामबिहारी आत्मज कृपाशंकर जाति नन्दवाना बोहरा निवासी कोटा रोड सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। — वादी

बनाम

1. बद्रीलाल आत्मज कृपाशंकर जाति नन्दवाना बोहरा।
2. दिनेश कुमार आत्मज कृपाशंकर जाति नन्दवाना बोहरा।
3. कृपाशंकर आत्मज शिवनारायण जाति नन्दवाना बोहरा।
4. रामप्यारी बाई पुत्री कृपाशंकर जाति नन्दवाना बोहरा।
5. कमला बाई पत्नी कृपाशंकर जाति नन्दवाना बोहरा निवासीगण सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद।
7. दी कोटा सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि0 शाखा सांगोद जिला कोटा राज0। — प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 आर टी एक्ट

उपस्थित :–

श्री रमेश कुमार शर्मा (वकील वादीगण) दिनांक :– 12.04.2021

श्री अनुतोष नागर (वकील प्रतिवादीगण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2022.02.17 15:19:39 IST
Reason: SelfAttested

——:: निर्णय ::——

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 एक ही परिवार के सदस्य हैं। वादी व प्रतिवादी कम्र 1 लगायत 3 प्रतिवादी कम 3 के पुत्र हैं तथा प्रतिवादी कम 4

प्रतिवादी कम 3 की पुत्री तथा प्रतिवादी कम 5 प्रतिवादी कम 3 की पत्नी है, वादी व प्रतिवादी का वश व्रक्ष निम्नानुसार है :–

शिवनारायण

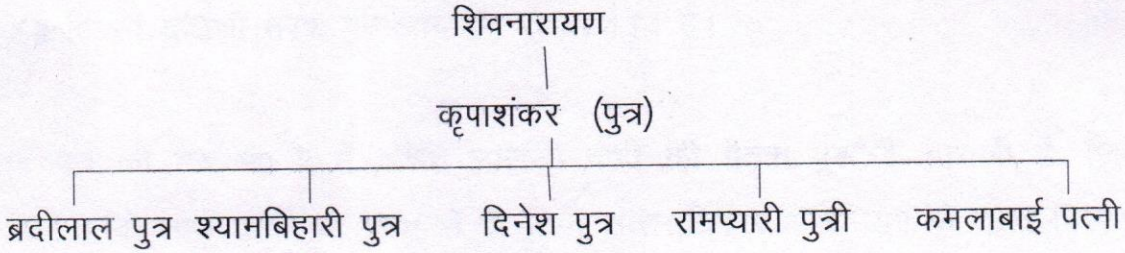

कृपाशंकर (पुत्र)

ब्रदीलाल पुत्र | श्यामबिहारी पुत्र | दिनेश पुत्र | रामप्यारी पुत्री | कमलाबाई पत्नी

प्रतिवादी कम 3 के द्वारा अपनी पुश्तैनी आय के स्त्रोत कपडे की दुकान से हुई आमदनी से दिनांक 15.05.1975 को विक्रेता श्री शकूर मोहम्मद आत्मज अली मौहम्मद जाति नीलगर निवासी कस्बा सांगोद से ग्राम टोंक की खाता संख्या 54 की आराजी खसरा नं0 वर्तमान 163 रकबा 5.20 हैक्टर जरिये विकय विलेख कय पर अपनी बडे पुत्र बद्रीलाल के खाते लगवा दी थी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2066–69 में दर्ज है। वादी के पिता प्रतिवादी कम 3 ने प्रतिवादी कम 1 के उपरोक्त आराजी खाता संख्या 54 खसरा नं0 163 की 5.20 हैक्टर बाल्यकाल में ही कय कर खाते लगवा दी थी एवं आराजी की सम्पूर्ण देख रेख तथा कब्जा भी वादी के पिता प्रतिवादी कम 3 के पास ही रहा तथा आराजी की समस्त आय तथा आराजी काश्त प्रतिवादी कम 3 को ही प्राप्त होती थी। जिसको वादी के पिता प्रतिवादी कम 3 द्वारा समय समय पर वादी व प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 की आवश्यकता अनुसार खर्च करता चला आ रहा है।

प्रतिवादी कम 3 ने आपसी समझाइश से 20 वर्ष पूर्व ही विवादित आराजी ग्राम टोंक की खाता संख्या नया 54 पुराना 60 के खसरा नं0 163 की रकबा 5.20 हैक्टर आराजी का मौखिक विभाजन कर प्रतिवादी कम 3 ने प्रतिवादी कम 4 व 5 की सहमति से उनके द्वारा आराजी को मौखिक रूप से हक त्याग देने से तथा विभाजन में सहमति देने से उपरोक्त वर्णित आराजी खसरां 163 की रकबा 5.20 हैक्टर को वादी एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 के मध्य आपसी सहमति से प्रत्येक को 1/3 हिस्सा मौके पर विभाजन कर पृथक–पृथक सम्भला दिया, तभी से वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 अपने अपने हिस्से 1/3 को काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।प्रतिवादी कम 3, 4, व 5 ने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 के पक्ष में बराबर बराबर हक त्याग दिया है।वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 के मध्य विभाजन निम्नानुसार हुआ है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2022.02.17 15:19:39 IST
Reason: SelfAttested

अ. वादी के हिस्से में आई आराजी–ग्राम माल टोंक की खाता संख्या 54 नया पुराना 60 के खसरा नं0 163 की 5.20 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा उत्तरी तरफ का रकबा 1.73 है।

स. प्रतिवादी कम 2 के हिस्से में आई आराजी–खसरा नं0 163 की 5.20 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा दक्षिणी तरफ का आया है, रकबा 1.74 है।

वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी वादी की पैतृक पुश्तैनी आराजी है, जिसमें प्रतिवादी कम 1 के साथ वादी का जन्म से ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिस्सा व हक निहित है, जिसको प्राप्त करने व अपने हक की घोषणा करवाने का वादी को पूर्ण अधिकार प्राप्त है, वादी द्वारा अपने पिता प्रतिवादी नं0 3 व प्रतिवादी सं.1 से उक्त आराजी में हिस्सा मांगने पर प्रतिवादी कम 3 ने आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारा कर 20 वर्ष पूर्व सम्भलाया हुआ है। जिसे दिनांक 11.01.2013 को आपसी सहमति पारिवारिक विभाजन लिखवाकर प्रमाणित नोटेरी से करवाया हुआ है। उसी समय दिनांक 11.01.2013 को ही मौके व हिस्से पर 1/3 के अनुसार तहसील कार्यालय चलकर वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 के बांट बराबर बंटवारा विभाजन इकरार नामे के अनुसार तस्दीक करवाने की राजस्व रिकार्ड में हिस्सा 1/3 प्रत्येक का वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 का अंकन करवाना तय हुआ था।8 दिन निकल जाने के बाद भी प्रतिवादी कम 1 तहसील कार्यालय में सहमति से उपस्थित होकर विभाजन कराने के लिये नहीं जा रहा है तथा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कम 1 का नाम दर्ज होने से प्रतिवादी कम 1 के बदनियात आ जाने से विभाजन करवाने में आनाकानी कर टालमटोल कर रहा है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण के मध्य सम्मिलित पुश्तैनी आराजी में प्राप्त हिस्से 1/3 का विकास कार्य करवाने, कृषि ऋण आदि लेने में काफी परेशानी होती है, ऐसी स्थित में वादी द्वारा प्रतिवादी कम 1 से तहसील कार्यालय में चलकर बंटवारा करवाने की कहने पर प्रतिवादी कम 1 ने साफ इनकार कर दिया। साथ ही प्रतिवादी कम 1 ने अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से आराजी को खुर्द–बुर्द करने की धमकी दी है एवं दी कोटा सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि0 शाखा सांगोद में आराजी को रहन रख दी है तथा कहने के बावजूद भी रहन रकम जमा नहीं करवा रहा है। ऐसी स्थिति में वादी के लिये माननीय न्यायालय में घोषणा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के हक में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2022.02.17 15:19:39 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र में वर्णित आराजी पैतृक पुश्तैनी आराजी की आपसी क्रय की गई आराजी भी पुश्तैनी होने से वादी को पारिवारीक विभाजन अनुसार 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 प्रत्येक का भी 1/3 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर घोषणा की डिक्री पारित फरमाई जावें तथा उक्त घोषणा अनुसार वाद पत्र में वर्णित विभाजन व अनुसार विभाजन की भी डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे। उक्त घोषणा व विभाजन अनुसार इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व

उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर एवं राज लगान का भी पृथक–पृथक अंकन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रतिवादी सं.4 के हिस्से तक का रिलीज डीड का पंजीयन शुल्क जमा होने पर ही आदेश की पालना की जावें। विवादित आराजी पर रहन होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहनभार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2022.02.17 15:19:39 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाकर सुनाया गया ।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद